न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 313/2023

1. उमेश कुमार पुत्र जगदीश कुमार जाति जाट साकिन 20 एम.जे.डी. ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. लोकेश पुत्र जगदीश कुमार जाति जाट साकिन 20 एम.जे.डी. ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–––वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र केसराराम जाति जाट साकिन 20 एम.जे.डी. ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. पंजाब नैशनल बैक शाखा धौलीपाल जरिये शाखा प्रबन्धक
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

–––प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री कुलदीप मूण्ड –वकील वादीगण
2. श्री संतोष सोलकी –वकील प्रति.सं. 1

वाद बाबत घोषणात्मक हक

निर्णय

दिनांक :– 06 03 ~~05~~

वादीगण उमेश कुमार वगैरा ने प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 04.07.2023 को इस न्यायालय में पेश किया। वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपना रजिस्टर्ड पता वाद पत्र के शीर्षक मे सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार पेश कर अंकित किया है। वादपत्र की चरण सं. 2 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की वंशावली को दर्शाया गया है। वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 जगदीश के नाम से चक नं. 20 एम.जे.डी. जं.सं. 2072–75 के खाता सं. 30/18 खाता जगदीश में कुल 3.4800 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जो प्रतिवादी सं. 1 वादीगण की विरासतन कृषि भूमि है। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का पिता है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से वादीपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि हमारी जददी जायदाद है जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य घरू बंटवारा में वादीगण को वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णित चक 230 एम.जे.डी. जं.सं. 2072–75 के खाता सं. 30/18 खाता जगदीश में कुल 3.4800 है. कृषि भूमि में से 1.771 है. कृषि भूमि ब.हि.ब. प्राप्त हुई है। वादी उक्त घरू विभाजन अनुसार ही काश्त करते चले आ रहे है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। प्रतिवादी सं. 2 के पास भूमि रहन होने व प्रतिवादी सं. 3 को भूधारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है इनसे किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है। वादीगण ने पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे वादपत्र की चरण सं. 5 के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार होना मान लेवे व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा देवे तो कुछ दिन तो प्रतिवादी टालमटोल करता रहा एवं अन्त में पिछले सप्ताह ऐसा करने से इन्कार कर दिया यही वाद कारण है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.02 17:19:52 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर रजिस्टर में इन्द्राज के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश हुआ। प्रति.सं. 2 बैक ने जवाबदावा पेश कर बैक हित को ध्यान में रखने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 3

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई। वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा पैतृक सम्पति के साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी चक नं. 20 एम.जे.डी. जं.सं. 2072–75 के खाता सं. 30/18 की प्रति पेश की। जमाबन्दी दस्तावेज EXP-1 प्रदर्श किये गये। साक्ष्य वादी में वादी उमेश कुमार का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि प्रति.सं. 1 वादीगण के पिता है जो कि एक हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादपत्र के चरण सं. 3 मे वर्णित कृषि भूमि प्रति.सं. 1 को विरासतन प्राप्त हुई इसलिए वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित हैं। साक्ष्य में जमाबन्दी चक नं. 20 एम.जे.डी. खाता सं. 10/6 जं.सं. 2060–63 पेश हुई उक्त आराजी वादीगण के दादा केसरा वल्द ख्यालीराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। प्रति.सं. 1 ने सहमति का जवाब दावा पेश किया, कोई विरोध नही है। मुताबिक अनुतोष वाद पत्र डिक्री किया जावे। बहस में प्रति.सं. 1 के अभिभाषक ने जवाबदावा अनुसार वादपत्र डिक्री करने पर सहमति दी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। वकील वादी ने पैतृक कृषि भूमि अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वादपत्र में वर्णित आराजी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चक नं. 20 एम.जे.डी. जं. सं. 2072–75 के खाता सं. 30/18 प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। उक्त आराजी विरासतन सम्पति है जिस पर वादीगण का जन्म से ही हक वा हिस्सा बनता है। प्रति.सं. 1 का सहमति का जवाबदावा पेश होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति का जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि तहसील संगरिया के चक नं. 20 एम.जे.डी. खाता सं. 30/18 जं.सं. 2072–75 में प्रतिवादी सं. 1 जगदीश के नाम दर्ज कुल 3.4800 है. कृषि भूमि में से 1.771 है. कृषि भूमि का वादीगण को ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर इसी कदर प्रतिवादी सं. 1 जगदीश का हिस्सा कम किया जावे। आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान [illegible] वहन करेगे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। नियमानुसार पर्चा [illegible] जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल [illegible] हो। निर्णय आज दिनांक 06-03-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.02 17:19:52 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 313/2023

1. उमेश कुमार पुत्र जगदीश कुमार जाति जाट साकिन 20 एम.जे.डी. ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. लोकेश पुत्र जगदीश कुमार जाति जाट साकिन 20 एम.जे.डी. ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–––वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र केसराराम जाति जाट साकिन 20 एम.जे.डी. ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. पंजाब नैशनल बैक शाखा धौलीपाल जरिये शाखा प्रबन्धक
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

–––प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणात्मक हक **दिनांक :–** 06-03-2024

यह राजस्व मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री संतोष सोलकी वकील प्रतिवादी सं. 1 की उपस्थिति में यह डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया के चक 20 एम.जे.डी. खाता सं. 30/18 जं.सं. 2072–75 में प्रतिवादी सं. 1 जगदीश के नाम दर्ज कुल 3.4800 है. कृषि भूमि में से 1.771 है. कृषि भूमि का वादीगण को ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर इसी कदर प्रतिवादी सं. 1 जगदीश का हिस्सा कम किया जावे। आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

निज ×....निल.........×मुब्लिक......×निल.......×बाबत.......×...निल.........×खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ×..........को अदा करें।

बसबब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 06-03-2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.02 17:19:52 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया